



माही की गूज

प्रेणा स्रोत
स्व. श्री यशवंतजी घोड़ावत

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

वर्ष-03, अंक - 46

(साप्ताहिक)

खवासा, गुरुवार 19 अगस्त 2021

पृष्ठ-8, मूल्य-5 रुपए

सपा सांसद के खिलाफ देशद्रोह

का मामला दर्ज

लखनऊ, ए जे सौ।
तालिबान के समर्थन में बयान को लेकर युग्मी के समाजवादी पार्टी के सांसद डॉ.



शक्तिकुरु रहमान बर्क के खिलाफ संभाल में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। संभल सदर कोतवाली में भारतीय दंड सहित की धारा 153 ए., 124 ए., 295 ए. के तहत यह मामला दर्ज किया गया है।

संभल से सपा सांसद बर्क के कहा था कि, तालिबान अपने स्कूलों की आजादी के लिए लड़ रहे हैं और अपाना लोग उसके नेतृत्व में आजादी चाहते हैं। तालिबान के समर्थन में आते हुए बर्क ने कहा था, जब भारत, ब्रिटिश शासन के अधीन था तब हमारे देश ने आजादी के लिए जग लड़ी। अब तालिबान अपने देश को आजाद करना और चलाना चाहते हैं। तालिबान वह ताक है जिसने रुस और अमेरिका जैसे सरकारों को अपने मुक्त में जमने नहीं दिया। सपा सांसद भी कहा था कि, अफगानिस्तान की आजादी उसका निजी मामला है, अमेरिका आखिर अफगानिस्तान पर शासन करों करेगा? तालिबान वहां की ताक है और अफगान लोग इसके नेतृत्व में आजादी चाहते हैं।

युग्मी के उप मुख्यमंत्री के शब्द प्रसाद मौर्य ने इस बयान को लेकर बर्क पर मामला साधते हुए कहा था कि, पाकिस्तान के प्रौद्योगिक खान और समाजवादी पार्टी के नेताओं में कोई फर्क नहीं है। मौर्य ने कहा, समाजवादी पार्टी कुछ भी कह सकती है, यदि तालिबान को लेकर समाजवादी पार्टी को ऐसा बयान आता है तो हमरान खान और समाजवादी पार्टी में कोई फर्क नहीं है?

सरकार व प्रशासन के समक्ष हुआ आजादी पर्व पर तिरंगे का अपमान

माही की गूज, राजगढ़ (व्यावरा)।

हमारे तिरंगे का अपमान करने वाले किसी को भी बच्चा नहीं जाता है और हमारा संविधान भी आम हो या खाली सभी के लिए समान बना है। जब हम 75वां आजादी पर्व बड़े धूमधार व हौर्दास के साथ तिरंगे को सलामी देकर मानवांश पाया। वहाँ जब ऐसा भी मंजर सामने आता है कि, हमारी सरकार के न्यायादेव व पुरा प्रशासन मौजूद होकर आजादी पर्व के उल्लक्ष पर मुख्य आयोजन होकर परेड की सलामी ली जाती है और वाहन पर तिरंगे का अपमान करने का वो क्षण सामने आता है, तो कई सवालों को खोड़ते करता ही है। जिसे क्या कहा जाए...? सबसे बड़ी शर्म की बात तब है कि, यह सबकुछ सरकार व प्रशासन ही सवार होकर उसे तिरंगे लाए वाहन पर सलामी ले रहे होते हैं और मामला उजागर होने के बाद अपनी देखकर भी अनदेखी व गलती को छुपाने के लिए एक अदने कर्मचारी पर आरोप



मध्य प्रदेश वार्कइं में अजब-गजब

15 अगस्त को 75वां स्वतंत्रता दिवस

सलामी लेते समय प्रधारी मंत्री मोहन यादव के साथ कलेक्टर नीरज कुमार, एसपी प्रदीप शर्मा मौजूद थे। उक्त समय का फोटो कैबिनेट मंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने ही टिकटर हैंडल अकांटर में पोस्ट कर अपनी व अपनी सरकार की गलती को उजागर कर तिरंगे के पीठ प्रदेश की आजादी सरकार व प्रशासन कितना स्वेच्छावित है...? वह भी दर्शाया गया।

वहाँ मामला उजागर होने के बाद कलेक्टर नीरज कुमार ने कहा कि, मामला संज्ञान में आया है, मैं दिखाया हूं।

एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा, मामला संज्ञान में आया है, इसमें उस छावावर की गलती है जल्द ही उचित करार्वाच की जाएगी।

प्रशासन में अपनी अनेकों गलती को स्वीकार के बजाए अपने तक के साथ अदने कर्मचारी वाहन चालक पर मामला मढ़, उक्त मामले को रफ़-दफ़ करने का प्रयास किया जा रहा है।

देश को मिल सकती है पहली महिला सीजेआई

एकत के तहत मामले दर्ज किए थे। इस

प्रकरण में फरियादी विक्रम राजपूत नाम का एक व्यक्ति है।

सुप्रीम कोर्ट में तालिब याचिका में दोनों महिलाओं का कहना था कि, फरियादी के बाद उहें ट्रेन के अनारक्षित डिब्बे में लाया गया था। मामले के चौथे आरोपी एसपी पीपक ठाकुर (जो घटना के समय डीएसपी साइड सेल थे) ने कोर्ट में मेडिकल लाया था। कोर्ट ने उहें 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत होने के लिए कहा है।

ये है मामला

परिवार जाच अनुसार रिनी जौहर और

उनकी मां गुरुबान जौहर मूलतः पुणे महाराष्ट्र की

रहने वाली हैं। 27 नवंबर 2012 को पुणे स्थित

उक्त घर से मध्यप्रदेश सायरपुर पुलिस ने उहें

पिरपता किया था। इन दोनों पर आरोप लाया

गया था कि, परिवार और लैनेपैनी की खोदीदारी में

हुए 10 हजार 500 अमेरिकी डॉलर की लेन-

देन में उहें खोदायड़ी की है। पुलिस ने दोनों

याचिकाकर्ताओं के प्रतिशुल्क पर अतिकूल

प्रभाव पड़ा है।

नौ ज्ञानी की होनी है नियुक्ति

पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के नवंबर 2019 में

सेवानिवृत्त हो जाने के बाद से कॉलेजियम ने केंद्र

सरकार को नियुक्ति के लिए एक भी नाम की

सिफारिश नहीं भेजी थी। न्यायमूर्ति नीरजन के 12

अग्रात को बावर होने के बाद से सुप्रीम कोर्ट में नौ

ज्ञानी की जगह खाली थी, लेकिन 18 अग्रात को

न्यायमूर्ति नीरजन सिन्धी भी सेवानिवृत्त हो गए। इसके

बाद 10 लोगों की जगह सुप्रीम कोर्ट में खाली हो

गई है।

को मान लेता है तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की

संख्या 33 हो जाएगी। केंद्र सरकार कॉलेजियम की

तक सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ़ अटर

महिला जो की ही नियुक्त हुई है।

अग्रात केंद्र सरकार

कॉलेजियम की सभी सिफारिशों

को मान लेता है तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की

संख्या 34 हो जाएगी।

तेज सकार ने बावर उन नामों की सत्रुति करता है तो केंद्र सरकार

को इसको मानना अनिवार्य होगा।

एक व्यापारिक विवाह से बायोटाइकल

